



Neutral Citation No. - 2026:AHC:46958

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3210/2026

नरेंद्र कुमार

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अनिल कुमार

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता, कृष्णकांत सिंह

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय और प्रतिवादी संख्या 6 के लिए श्री के.के. सिंह को सुना गया।
2. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि रिट याचिका विचारणीय नहीं हो सकती, विशेष रूप से तब जब रिट याचिकाकर्ता उस ग्राम पंचायत का निवासी है जहाँ सातवें प्रतिवादी शिक्षक हैं और उनके आचरण पर सवाल उठाते हुए यह याचिका दायर की गई है।
3. उक्त स्थिति को देखते हुए, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया है और कानून के तहत उपलब्ध उपायों का लाभ उठाने की मांग की है।
4. उक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका को निस्तारित किया जाता है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

9 मार्च, 2026

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।